# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

**पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.**
**राजस्व आवेदन संख्या —04/2018**

**उनवान**

**वादी**

कानाराम पुत्र सादुलाराम के कायम मुकाम
1. तुलछाराम पुत्र कानाराम
2. हड्डुमानराम पुत्र कानाराम
3. श्रीमती खेतुदेवी पत्नि कानाराम जाति जाट निवासी कोटड़िया तला हाथमा तहसील रामसर।

**प्रतिवादी**

1. नानगाराम पुत्र सादुलाराम के कायम मुकाम
1/1 चिमनाराम पुत्र नानगाराम
1/2 हड्डुमानराम पुत्र नानगाराम
1/3 नारणाराम पुत्र नानगाराम
1/4 श्रीमती चौथीदेवी पत्नि नानगाराम जाति जाट निवासी कोटड़िया तला हाथमा तहसील रामसर।

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

राजस्व वाद संख्या 04/2018 दिनांक :—29.11.2024

## निर्णय

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कोटडिया तला पटवार मण्डल हाथमा के खसरा संख्या 346 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा गे.मु. ढाणी तथा खसरा संख्या 348 रकबा 86 बीघा 18 बिस्वा तथा खसरा संख्या 429 रकबा 92 बीघा 02 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आयी हुई है जिसमें वादी तथा प्रतिवादी गण का 1/2 हिस्सा रेकर्ड में खुले हुये है। वादग्रस्त आराजी में बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस विभाजन करने हेतु यह वाद दिनांक 08.02.20218 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित होने से उनका जवाब का अवसर बंद किया गया। तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो प्रतिवादीगण को मंजूर नही तथा समस्त खसरो में हिस्सा चाहते है इस कारण पुनः विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। तहसीलदार रामसर के पत्रांक राजस्व/2024/2212 दिनांक 12.11.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रापत।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा संलग्न विभाजन के प्रस्ताव के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा कोटडिया तला पटवार मण्डल हाथमा के खसरा संख्या 346 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा गे.मु. ढाणी तथा खसरा संख्या 348 रकबा 86 बीघा 18 बिस्वा तथा खसरा संख्या 429 रकबा 92 बीघा 02 बिस्वा भूमि में सलग्न नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि को निम्नानुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजित किया जाता है।

| क.स. | खातेदार | खसरा संख्या | रकबा हेक्टेयर | किस्म | बरंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चिमनाराम पुत्र नानगाराम, नारणाराम पुत्र नानगाराम, हड्डुमान राम पुत्र नानगाराम, चौथिदेवी पत्नि नानगाराम कौम जाट सा.देह खातेदार। | 346 | 0.1700 | गे.मु. | बैंगनी। |
| | | 348 | 13.9051 | बा.सो | |
| | | 429 | 0.4167 | बा.सो | |
| 2 | तुलछाराम पुत्र कानाराम, हड्डुमान राम पुत्र कानाराम, खेतु पत्नि कानाराम कौम जाट सा.देह खातेदार। | 429 | 14.4919 | बा.सो. | हरा। |

तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लटठा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित करें। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट मय नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। खर्च पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें। तदनूसार डिगरी पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
**सहायक कलक्टर**
**रामसर**